संख्या-584/2017/929/22-2-2017-17(02)/1999

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जैनुद्दीन पुत्र मो0 शीश निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12857/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.04.2017 दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जैनुद्दीन पुत्र मो0 शीश, निवासी ग्राम-गौहनियां, थाना-इब्राहिमपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06.11.1977 को 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला, फरसा एवं बन्दूक से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 147 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 08.03.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.1996 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.09.2016 तक 19 वर्ष 08 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 02 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 द्वारा दोषमुक्त, 05 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दोषमुक्त, 02 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जैनुद्दीन (बन्दी संख्या-38587) पुत्र मो0 शीश, निवासी-जनपद-अम्बेडकरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-584/2017/929/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in